



दिनांक:- 30.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में होली त्यौहार तथा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में दिनांक 29.03.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर र शमशान घाट के पास मु० सुभाष नगर कस्बा कबरई से अभियुक्त चन्द्रभान पुत्र बल्दू कुशवाहा उम्र करीब 52 वर्ष को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 116/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम चन्द्रभान उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री महेन्द्र सिंह तोमर
2. हे०कां० राजेश कुमार
3. म०का० बबिता पाल

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

चन्द्रभान पुत्र बल्दू कुशवाहा उम्र करीब 52 वर्ष नि० मु० शास्त्री नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा





दिनांक:- 30.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के सफल पर्यवेक्षण में जनपद में होली त्यौहार तथा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में आज दिनांक 30.03.2021 को **SHO** श्रीनगर श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर घटना स्थल शंकर फिलिंग स्टेशन के पास वहद कस्बा श्रीनगर ग्राम बिलखी से एक नफर अभियुक्त बिन्द्रावन पुत्र लच्छीराम कुशवाहा उम्र करीब **40** वर्ष को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से **18** अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद की गयी बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 54/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...

1. उ०नि० श्री गोपीचरन
2. का० नीलकमल राय

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...

बिन्द्रावन पुत्र लच्छीराम कुशवाहा उम्र करीब **40** वर्ष निवासी ग्राम बिलखी थाना श्रीनगर जनपद महोबा





दिनांक:- 30.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा आचार संहिता एवं कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 20 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया अभियोग

आज दिनांक 30.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता एवं धारा 144 सीआरपीसी व कोविड-19 नियमों का पालन कराये जाने के क्रम में प्र०नि० श्रीनगर संजय कुमार शर्मा मय हमराहियान के पूर्व प्रधान पति राजपाल पटेल का हाता वहद ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा से **20 नफर लोगों को एक जगह पर एकत्र होकर आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 सीआरपीसी व कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने साथ ही मतदाताओं को प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित करने का दोषी पाया गया है।** अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. **55/21 धारा 171F/269/188 भादवि व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 195 के तहत अभियोग पंजीकृत** कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- पूर्व प्रधान पति राजपाल पटेल पुत्र अज्ञात
2. इन्द्रपाल पुत्र जंगबहादुर पटेल उम्र करीब 58 वर्ष
3. रामलला पुत्र दिप्पू पटेल उम्र 18 वर्ष
4. रविन्द्र पुत्र नाथूराम पटेल उम्र करीब 28 वर्ष
5. विनय पटेल पुत्र संतोष पटेल उम्र करीब 23 वर्ष
6. अकित पटेल पुत्र राजपाल सिंह पटेल उम्र करीब 20 वर्ष
7. नृपत पुत्र मन्टा बढई उम्र करीब 45 वर्ष
8. शैलेन्द्र पुत्र दीपक पटेल उम्र करीब 21 वर्ष
9. सत्यम पुत्र विनोद पटेल उम्र करीब 18 वर्ष
10. संतोष पुत्र नारायण कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष
11. किशनपाल पुत्र रामसनेही कुम्हार उम्र करीब 36 वर्ष
12. प्रेमचन्द्र पुत्र राजाराम उम्र करीब 50 वर्ष

लगातार.....



दिनांक:- 30.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



13. हीरालाल पुत्र महादेव रैकवार उम्र करीब 70 वर्ष
 14. रामेश्वर कोरी पुत्र पूरन उम्र करीब 61 वर्ष
 15. भालचन्द्र पुत्र भजनलाल रैकवार उम्र करीब 50 वर्ष
 16. गौरीशंकर पुत्र महादेव उम्र करीब 65 वर्ष
 17. टुन्डा पुत्र मुकुन्दा कुशवाहा उम्र करीब 65 वर्ष
 18. फूलचन्द्र पुत्र कैलाश यादव उम्र करीब 49 वर्ष
 19. दिप्पू पुत्र रामाचरण पटेल उम्र करीब 45 वर्ष
 20. राजाराम पुत्र कंधीलाल पटेल उम्र करीब 24 वर्ष
- समस्त निवासीगण ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री सौरभ पाण्डेय (एसडीएम सदर)
2. श्री उमेश चन्द्र (क्षेत्राधिकारी चरखारी)
3. श्री संजय कुमार शर्मा (प्र0नि0 श्रीनगर)
4. आरक्षी रोहित कुमार
5. आरक्षी लवकुश कुमार



दिनांक:- 30.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 30.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत

प्र0नि0 श्रीनगर श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा गठित टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम ज्यौरेया मोड करबा श्रीनगर से 01 नफर अभियुक्त रन्धीर सिंह पुत्र राम सिंह बुन्देला उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम ज्यौरेया थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। **जिसके कब्जे से 36 अदद क्वाटर देशी शराब नाजायज बरामद की गई।** अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु.अ.सं. 56/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

रन्धीर सिंह पुत्र राम सिंह बुन्देला उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम ज्यौरेया थाना श्रीनगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री प्रभाकर उपाध्याय
2. हे0 का0 रामेन्द्र सिंह



दिनांक:- 30.03.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना चरखारी पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध शराब सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार



आज दिनांक 30.03.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्र0नि0 चरखारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम ने ग्राम स्वासामाफ से अभियुक्ता श्रीमती श्याम बाई पत्नी संतोष कबूतरा उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा को **प्लास्टिक पिपिया में 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर थाना हाजा पर मु.अ.सं. 81/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत** कर आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

श्रीमती श्याम बाई पत्नी संतोष कबूतरा उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम स्वासामाफ थाना चरखारी जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनूप पाण्डेय (चौकी प्रभारी सूपा)
2. का संजय कुमार
3. महिला आरक्षी नेहा देवी